भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5095
24 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद नीति

5095 **श्री विजय कुमार दूबेः**
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति के अंतर्गत न्यूनतम स्थानीय सामग्री की गणना करने के लिए क्या परिभाषा और कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निगरानी और प्रवर्तन के माध्यम से देश में विनिर्मित इस्पात की अनिवार्य खरीद किस प्रकार सुनिश्चित किए जाने की संभावना है;

(ग) आयात के लिए अनुमत पूंजीगत वस्तुओं की संशोधित सूची क्या है और ऐसी छूटों के पीछे क्या औचित्य है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) घरेलू स्रोतों से खरीद की अनिवार्यता के कारण सरकारी खरीद में संभावित लागत वृद्धि की चिंताओं का इस नीति में किस प्रकार समाधान किया गया है; और

(ङ) क्या इस्पात संयंत्रों को आरंभ करने से संबंधित निविदाओं में स्वदेशी प्रौद्योगिकी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ करने संबंधी बाधाओं में ढील दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ङ): 'न्यूनतम स्थानीय सामग्री' की गणना के लिए परिभाषा और कार्यप्रणाली का विवरण, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा आयात के लिए अनुमत पूंजीगत वस्तुओं की संशोधित सूची, इस्पात सीपीएसई निविदाओं में स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की भागीदारी का समर्थन करने के लिए प्रवेश बाधाओं में ढील, इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति में निर्दिष्ट हैं।

डीएमआईएंडएसपी नीति सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में घरेलू स्तर पर विनिर्मित इस्पात के उपयोग को अनिवार्य बनाती है। सभी मंत्रालय, विभाग और सीपीएसई इस नीति के दायरे में आते हैं। निविदा शर्तों में नीतिगत प्रावधानों को शामिल करके, स्थानीय सामग्री के लिए प्रमाणन आवश्यकताओं को निर्धारित करके और संबंधित अधिप्राप्ति करने वाली संस्थाओं तथा मंत्रालय द्वारा निगरानी के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

इस्पात सीपीएसई द्वारा पूंजीगत वस्तुओं और उपकरणों के आयात की अनुमति उन मामलों में दी जाती है जहाँ ऐसे उपकरण घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं या जहाँ उन्नत और दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आयात आवश्यक है, ताकि परियोजना के कार्यान्वयन में देरी से बचा जा सके। इसके अलावा, स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और इस्पात संयंत्र के उपकरणों एवं प्रक्रियाओं में घरेलू क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस्पात सीपीएसई की प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति निविदाओं में पूर्व अनुभव और पात्रता शर्तों जैसी प्रवेश बाधाओं में ढील दी गई है।

*****